छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा चतुर्थ सत्र अंक-03

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024

(अग्रहायण 28, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष को एक साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष, श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री, श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, श्री कवासी लखमा, सदस्य, श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री, सदस्य सर्वश्री किरण देव, रामकुमार यादव, श्रीमती गोमती साय, श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, सुशांत शुक्ला, द्वारिकाधीश यादव एवं धर्मजीत सिंह, सदस्य ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

माननीय अध्यक्ष ने सदन के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05 व 07 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 76 तारांकित एवं 90 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों को संसदीय पद्धति और प्रक्रिया, भारत का संविधान एवं रायपुर, पुस्तक का वितरण पुस्तकालय से किया जा रहा है। कृपया माननीय सदस्य सुविधानुसार इन तीनों पुस्तकों की प्रति ले लें।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2023-2024 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन,

(2) श्री रामविचार नेताम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024,

(3) श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) की धारा 9 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1173/1258/सात-1/2024, दिनांक 13 दिसम्बर, 2024

पटल पर रखे।

5. पृच्छा

डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन, रेत व खनिज परिवहन, ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित फ्लाई ऐश/राखड़ से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव संबंधी स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की।

इस संबंध में सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, विक्रम मण्डावी, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, अटल श्रीवास्तव एवं कवासी लखमा, सदस्य ने भी विचार व्यक्त किये।

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अनुज शर्मा, रोहित साहू, सदस्य ने भी विविध विषयों पर आसंदी का ध्यान आकृष्ट किये।

6. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत एवं प्रतिपक्ष के अन्य माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन, रेत व खनिज परिवहन, ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित फ्लाई ऐश/राखड़ आदि कारणों से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के संबंध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने सुना। मैंने प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना का भी अवलोकन किया।

प्राप्त स्थगन की सूचना में एकाधिक से अधिक विषय सम्मिलित होने व हाल की किसी घटना से संबंधित नहीं होने के कारण मैंने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-55 अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसरण में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने जिला-मुंगेली के ग्राम बरदुली, दशरंगपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130 'ए' से प्रभावित भू-स्वामियों को मुआवजा प्रदान नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य ने बस्तर संभाग अंतर्गत वनाधिकार पट्टा प्रदाय नहीं किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

8. नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की नियम 267 "क" के अंतर्गत शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई।

9. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार दिनांक 20.12.2024 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
(क्रमांक - 07)	श्री पुन्नूलाल मोहले	30 मिनट
(क्रमांक - 09)	श्री अटल श्रीवास्तव	30 मिनट
(क्रमांक - 10)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री रिकेश सेन
(2) श्री भोलाराम साहू
(3) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
(4) श्रीमती अनिला भेंडिया
(5) श्री दिलीप लहरिया
(6) श्री ललित चन्द्राकर
(7) श्रीमती चातुरी नंद

11. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री रामकुमार यादव

डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष

12. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री गौरीशंकर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है।

13. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

14. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है।

15. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024)

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024)

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस विधेयक में संशोधन करते हुए दिवंगत विधायक के पति, पत्नी नॉमिनी को भी जीवनपर्यंत पेंशन दिए जाने का प्रावधान कराया जाये। उसमें 10 साल के प्रतिबंध को खत्म कर आजन्म किया जाये।

श्री धरम लाल कौशिक, सदस्य ने भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये।

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की तथा सदन को अवगत कराया कि कुटुम्ब पेंशन का जो प्रस्ताव है, उसकी अलग से प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने जो विषय आया है, इस पर विचार करने का आश्वासन दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(3) <u>छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024)</u>

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री उमेश पटेल, मोतीलाल साहू, नीलकंठ टेकाम, श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, अनुज शर्मा, रोहित साहू, डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं कहा कि धारा-109, जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की है। उसमें दिया गया सुझाव बहुत अच्छा है। इसको हम विधि विभाग से जरूर परामर्श करके, उस पर विचार करके कार्रवाई करेंगे।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024)

उक्त विधेयक पर विभागीय मंत्री द्वारा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन, 1992 इसलिए किए गए थे कि राज्य सरकारें नगरीय-निकायों के चुनाव को अपनी सुविधानुसार आगे-पीछे कराती हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा WPCN 278/2022 में निर्णय दिनांक 10.05.2022 में यह स्पष्ट आदेश है कि कार्यकाल में 05 वर्ष समाप्त होने के पूर्व नया निर्वाचन कराना होगा। प्रस्तावित संशोधन के द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश व संविधान के अनुच्छेद-243 का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, रामकुमार यादव, उमेश पटेल, द्वारिकाधीश यादव

डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत द्वारा उठायी गयी आपत्ति के संबंध में स्थिति स्पष्ट की।

17. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने इस संबंध में व्यवस्था दी कि माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, माननीय सदस्य श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में आपत्ति की है एवं दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को विधेयक के पुर:स्थापन के समय माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा भी आपत्ति की गई थी कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार नगरीय निकाय का कार्यकाल 05 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, यह उनका पक्ष था। परंतु इस संशोधन विधेयक में नगरीय निकाय के कार्यकाल को 06 माह बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जो संविधान के विरूद्ध है। यह भूपेश बघेल जी का मत था। नेता प्रतिपक्ष जी ने भी ऐसा ही कहा। माननीय भूपेश बघेल और सदस्यों की आपत्ति पर माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री अरूण साव द्वारा सदन को यह अवगत कराया गया कि इस विधेयक के माध्यम से कार्यकाल या कार्यावधि को बढ़ाया नहीं जा रहा है। यदि विशेष परिस्थिति में चुनाव नहीं हो पाया, तो उस परिस्थिति के लिए यह प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। संविधान का ऐसे किसी प्रावधानों से उल्लंघन नहीं होता। इसी प्रकार की आपत्ति माननीय सदस्य, राघवेन्द्र कुमार सिंह

जी ने भी की है। सरकार की ओर से जो जवाब स्पष्टीकरण आया है, उसके बाद में इस विधेयक पर विचार और पारण के लिए मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

18. बहिष्कार

(डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया।)

19. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रिकेश सेन, मोतीलाल साहू, सुनील सोनी

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 से 24 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) <u>छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024)</u>

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रोहित साहू, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 से 21 इस विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(6) <u>छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024)</u>

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 से 35 इस विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024)

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री राजेश मूणत, सुशांत शुक्ला, सुनील सोनी

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं स्थिति स्पष्ट की तथा इस पर विचार करने का आश्वासन दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

20. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने दिनांक 26 जुलाई, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्रमांक 426) "राशन दुकानों द्वारा अनाज आवंटन" के विषय पर नियम 52 के अधीन चर्चा उठाई।

श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 4:54 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 29, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा